



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

सी.जी.-जे.के.-अ.-29022024-252484
CG-JK-E-29022024-252484

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 122]

नई दिल्ली, बुधवार, फरवरी 28, 2024/फाल्गुन 9, 1945

No. 122]

NEW DELHI, WEDNESDAY, FEBRUARY 28, 2024/PHALGUNA 9, 1945

संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग

(केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर व केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख)

अधिसूचना

जम्मू, 12 फरवरी, 2024

क्रमांक जेईआरसी-जेकेएल/रेग/2024/01.—विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36) की धारा 14, धारा 61 की उप-धारा (एच), धारा 66, धारा 86 की उपधारा (1) के खंड (ड) और (ट) के साथ पठित धारा 181(1), ग्रामीण विद्युतीकरण नीति, 28 जनवरी, 2016 को अधिसूचित राष्ट्रीय टैरिफ नीति और इस संबंध में इसे सक्षम करने वाली अन्य सभी शक्तियों के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर व केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख इसके द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है:

अध्याय I: सामान्य

1. संक्षिप्त शीर्षक, प्रारंभ

- इन विनियमों को संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर व केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख (माइक्रो-ग्रिड नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन और आपूर्ति) विनियम, 2024 कहा जाएगा।
- ये विनियम पूरे केंद्र शासित प्रदेश (यूटी) जम्मू और कश्मीर व केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख पर लागू होंगे।
- ये विनियम आधिकारिक राजपत्र में उनके प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।

iv. विनियमों का उद्देश्य केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर व केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में माइक्रो-ग्रिड परियोजनाओं के माध्यम से नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन और आपूर्ति के विकास, प्रबंधन को बढ़ावा देना और सुविधा प्रदान करना है।

2. परिभाषाएँ

इन विनियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो:

1. "अधिनियम" का अर्थ विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36) है;
2. "प्राधिकरण" का अर्थ अधिनियम की धारा 70 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण है;
3. "बिलिंग चक्र" का अर्थ माइक्रो-ग्रिड ऑपरेटर (एमजीओ) और उपभोक्ता के बीच सहमत बिलिंग अंतराल है;
4. "आयोग" का अर्थ अधिनियम के तहत गठित संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर व केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख है;
5. "महत्वपूर्ण आपूर्ति घंटे" का अर्थ प्रत्येक दिन सुबह 6.00 बजे से 10.00 बजे तक और शाम को 17.00 बजे से 22.00 बजे तक या आयोग द्वारा समय-समय पर एक आदेश के माध्यम से संशोधित बिजली की आपूर्ति है;
6. "विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर)" का अर्थ माइक्रो-ग्रिड परियोजना से संबंधित तकनीकी, वित्तीय और पर्यावरणीय पहलुओं आदि से युक्त एक विस्तृत रिपोर्ट है;
7. "वितरण फ्रेंचाइजी (डीएफ)" का अर्थ वितरण लाइसेंसधारी द्वारा वितरण फ्रेंचाइजी समझौते में नियमों और शर्तों के अनुसार वितरण लाइसेंसधारी की आपूर्ति के एक विशेष क्षेत्र में अपनी ओर से अपेक्षित कर्तव्यों को पूरा करने के लिए अधिकृत व्यक्ति है;
8. "वितरण फ्रेंचाइजी समझौता (डीएफए)" का अर्थ वितरण फ्रेंचाइजी के रूप में वितरण लाइसेंसधारी और माइक्रो-ग्रिड ऑपरेटर के बीच समझौता है;
9. "वितरण फ्रेंचाइजी शुल्क" का अर्थ वितरण फ्रेंचाइजी समझौते के तहत प्रदान की गई सेवाओं के लिए वितरण लाइसेंसधारी द्वारा माइक्रो-ग्रिड ऑपरेटर को की गई राशि का भुगतान है;
10. "वितरण लाइसेंसधारी की प्रणाली" का अर्थ है पारेषण लाइनों या उत्पादन स्टेशन कनेक्शन पर वितरण बिंदुओं और उपभोक्ताओं की स्थापना के कनेक्शन बिंदु के बीच तारों और संबंधित सुविधाओं की प्रणाली;
11. "फीड-इन-टैरिफ या एफआईटी" का अर्थ माइक्रो-ग्रिड आधारित नवीकरणीय ऊर्जा प्रणाली से वितरण लाइसेंसधारी द्वारा बिजली की खरीद के लिए अधिनियम की धारा 62 के अनुसार आयोग द्वारा निर्धारित टैरिफ है;
12. "ग्रिड आगमन" का अर्थ है माइक्रो-ग्रिड क्षेत्र में वितरण लाइसेंसधारी की प्रणाली का विस्तार;
13. "अंतर्संयोजन बिंदु" का अर्थ है माइक्रो-ग्रिड नवीकरणीय ऊर्जा प्रणाली से वितरण लाइसेंसधारी की प्रणाली तक बिजली की आपूर्ति के लिए इंटरफेस बिंदु;
14. "किलोवाट" का अर्थ किलोवाट है;
15. "माइक्रो-ग्रिड क्षेत्र" का अर्थ उन क्षेत्रों से है जहां इन विनियमों के तहत माइक्रो-ग्रिड ऑपरेटर द्वारा माइक्रो ग्रिड परियोजनाओं के माध्यम से बिजली की आपूर्ति की जाएगी; ऐसा क्षेत्र गैर-विद्युतीकृत क्षेत्र या विद्युतीकृत क्षेत्र के गैर-विद्युतीकृत पाडा/वस्तियां हो सकता है।
16. "मिनी-ग्रिड/माइक्रो-ग्रिड परियोजना" का अर्थ है 10 किलोवाट से अधिक और 1000 किलोवाट तक की क्षमता वाली नवीकरणीय ऊर्जा आधारित बिजली उत्पादन प्रणाली वाली परियोजना और इन विनियमों में निर्धारित प्रावधानों के अनुसार विद्युत वितरण नेटवर्क के माध्यम से माइक्रो-ग्रिड क्षेत्रों में उपभोक्ताओं को बिजली की आपूर्ति करना और/या वितरण लाइसेंसधारी को बिजली बेचना। इस प्रकार की परियोजनाओं को कभी-कभी नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन और आपूर्ति परियोजनाएँ (आरईजीएसपी) भी कहा जाता है;

17. "माइक्रो-ग्रिड ऑपरेटर (एमजीओ)" का अर्थ है एक व्यक्ति, व्यक्तियों का एक समूह, स्थानीय प्राधिकरण, पंचायत संस्थान, उपयोगकर्ता संघ, सहकारी समितियां, गैर-सरकारी संगठन, एक ऐसी कंपनी है जो माइक्रो-ग्रिड क्षेत्रों में बिजली के उत्पादन और आपूर्ति के लिए केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर व केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के भीतर माइक्रो-ग्रिड नवीकरणीय ऊर्जा प्रणाली का निर्माण, कमीशन, संचालन और रखरखाव करती है और इन विनियमों के तहत काम करने के लिए सहमत है;
18. "माइक्रो-ग्रिड प्रोजेक्ट" का अर्थ माइक्रो-ग्रिड नवीकरणीय ऊर्जा प्रणाली है जो उपभोक्ताओं को बिजली उत्पन्न कर आपूर्ति करती है या वितरण लाइसेंसधारी को बिजली बेचती है;
19. "माइक्रो-ग्रिड नवीकरणीय ऊर्जा प्रणाली (एमआरईएस)" का अर्थ है उपभोक्ताओं और/या वितरण लाइसेंसधारी को आपूर्ति के लिए माइक्रो-ग्रिड क्षेत्र में नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत का उपयोग करके बिजली उत्पन्न करने वाला एकल बिजली संयंत्र;
20. "एमएनआरई" का अर्थ भारत सरकार का नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय या उसकी उत्तराधिकारी इकाई है;
21. "बाध्य इकाई" का अर्थ है नवीकरणीय खरीद दायित्व को पूरा करने के लिए अधिनियम की धारा 86 की उप-धारा (1) के खंड (ड) के तहत अनिवार्य इकाई और समय-समय पर संशोधित संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर व केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख (नवीकरणीय खरीद दायित्व, इसका अनुपालन और आरईसी ढांचा कार्यान्वयन) विनियम, 2022 के तहत पहचानी गई इकाई;
22. "पावर परचेज एग्रीमेंट (पीपीए)" ग्रिड के साथ अंतर्संयोजन पर माइक्रो-ग्रिड परियोजना से उत्पन्न बिजली की खरीद के लिए वितरण लाइसेंसधारी और एमजीओ के बीच एक समझौता है;
23. "प्राथमिक वितरण नेटवर्क (पीडीएन)" का अर्थ है अधिनियम की धारा 53 के तहत निर्दिष्ट सुरक्षा उपायों और सीईए द्वारा निर्दिष्ट कार्यान्वयन दिशानिर्देशों में तकनीकी मानकों के अनुसार माइक्रो-ग्रिड क्षेत्र में उपभोक्ताओं को माइक्रो-ग्रिड क्षेत्र से उत्पन्न बिजली की आपूर्ति के लिए एमजीओ के स्वामित्व वाली वितरण संरचना;
24. "नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाणपत्र (आरईसी)" का अर्थ है समय-समय पर संशोधित केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन के लिए नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाणपत्र की मान्यता और जारी करने के लिए नियम और शर्तें) विनियम, 2010 के माध्यम से केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग द्वारा निर्दिष्ट प्रक्रियाओं के अनुसार जारी किए गए प्रमाण पत्र;
25. "नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत" का अर्थ है लघु हाइड्रो, पवन, सौर, बायोमास, जैव ईंधन, शहरी या नगरपालिका अपशिष्ट, माइक्रो हाइड्रो/मिनी हाइड्रो, पारंपरिक जल मिल/घराट और उसके जैसे नवीकरणीय स्रोत और बिजली उत्पादन के लिए समय-समय पर नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा अनुमोदित अन्य ऐसे स्रोत;
26. "नवीकरणीय खरीद दायित्व (आरपीओ)" का अर्थ है बाध्य इकाई के लिए नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से उत्पन्न बिजली खरीदने के लिए अधिनियम की धारा 86 की उप-धारा (1) के खंड (ड) के तहत निर्दिष्ट, और संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर व केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख (नवीकरणीय खरीद दायित्व और इसका अनुपालन) विनियम, 2024 में निर्दिष्ट अपेक्षाएँ हैं।
27. "प्रदर्शन का मानक या एसओपी" का अर्थ है सार्वजनिक वितरण नेटवर्क से जुड़े सभी इच्छुक घरेलू उपभोक्ताओं को 24 घंटे के प्रारूप में दैनिक आधार पर महत्वपूर्ण आपूर्ति घंटों के दौरान कम से कम 6 घंटे ग्रिड गुणवत्ता वाली बिजली की आपूर्ति करना;
28. "राज्य नोडल एजेंसी" का अर्थ है आयोग द्वारा अधिसूचित केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर व केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में ग्रिड कनेक्टेड और ऑफ-ग्रिड नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए राज्य स्तर पर नोडल एजेंसी;
29. "टैरिफ अवधि" का अर्थ वह अवधि है जिसके लिए आयोग द्वारा एमआरईएस से उत्पन्न बिजली के लिए एफआईटी निर्धारित किया जाना है;
30. "व्हीलिंग एग्रीमेंट" का अर्थ है पीडीएन के माध्यम से बिजली की आपूर्ति के लिए वितरण लाइसेंसधारी द्वारा एमजीओ के साथ हस्ताक्षरित समझौता;

31. "वर्ष" का अर्थ वित्तीय वर्ष है;

अध्याय II: दायरा और प्रयोज्यता

3. विनियमों का दायरा और आवेदन की सीमा

3.1. ये विनियम नई और मौजूदा माइक्रो-ग्रिड परियोजनाओं यदि कोई हो, पर लागू होंगे, जिनकी क्षमता 10 किलोवाट से 1000 किलोवाट तक है, जो माइक्रो-ग्रिड सेवित क्षेत्र में उपभोक्ताओं को बिजली के उत्पादन और आपूर्ति और/या केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर व केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में वितरण लाइसेंसधारी को बिक्री के लिए स्थापित की गई है। मौजूदा माइक्रो-ग्रिड परियोजनाएं इन विनियमों का अनुपालन सुनिश्चित करेंगी और अधिसूचना के छह महीने के भीतर इन विनियमों के अनुसार तकनीकी मानकों और सुरक्षा उपायों को पूरा करेंगी।

अध्याय III: सामान्य सिद्धांत

4. व्यवसाय संचालन के लिए मॉडल

4.1. एमजीओ निम्नलिखित परिचालन मॉडल या आयोग द्वारा अनुमोदित किसी भी बाद के मॉडल के तहत माइक्रो-ग्रिड क्षेत्रों में बिजली की आपूर्ति के लिए माइक्रो-ग्रिड परियोजनाओं को लागू कर सकता है, जहां ग्रिड अस्तित्व में नहीं है।

- क) एमजीओ उन क्षेत्रों में पीडीएन के माध्यम से बिजली के उत्पादन और आपूर्ति के लिए माइक्रो-ग्रिड परियोजनाओं का निर्माण, कमीशन, संचालन और रखरखाव करेगा जहां वितरण लाइसेंसधारी प्रणाली मौजूद नहीं है।
- ख) एमजीओ उपभोक्ताओं को पारस्परिक रूप से सहमत टैरिफ पर या किसी भी सरकार प्रायोजित योजना के तहत केंद्र शासित प्रदेश की सरकार द्वारा तय किए गए टैरिफ पर माइक्रो-ग्रिड परियोजनाओं से उत्पन्न बिजली की पूरी मात्रा की आपूर्ति करने का हकदार होगा।
- ग) ग्रिड के आगमन पर, एमजीओ आयोग द्वारा निर्धारित एफआईटी पर अंतर्संयोजन बिंदु पर वितरण लाइसेंसधारी को उत्पन्न पूरी बिजली का उत्पादन और आपूर्ति करेगा।
- घ) एमजीओ स्थानांतरण की तिथि पर परिसंपत्तियों के बुक वैल्यू के आधार पर आपसी सहमति से वितरण लाइसेंसधारी की प्रणाली के मानकों के अनुरूप पीडीएन का स्वामित्व वितरण लाइसेंसधारी को हस्तांतरित करेगा। पीडीएन का अधिग्रहण करते समय डिस्कॉम द्वारा बताई गई कमियों को एमजीओ सीईए मानकों के अनुसार सुधारेगा। स्थानांतरण की तिथि पर संपत्ति की बुक वैल्यू माइक्रो-ग्रिड परियोजना के चालू होने के दौरान दर्ज की गई संपत्ति की बुक वैल्यू पर, व्यवहार में जेईआरसी नियमों के रूप में, मूल्यहास पद्धति को लागू करके निर्धारित की जाएगी।
- ङ) इसके अलावा, वितरण लाइसेंसधारी एमजीओ को माइक्रो-ग्रिड क्षेत्र में वितरण फ्रेंचाइजी (डीएफ) की भूमिका निभाने की अनुमति दे सकता है।

अध्याय-IV तकनीकी मानक और कनेक्टिविटी मानदंड

5. पीडीएन के निर्माण के लिए तकनीकी मानक

5.1. एमजीओ प्रासंगिक नियमों और विनियमों के अनुसार पीडीएन के सुरक्षित संचालन और रखरखाव के लिए जिम्मेदार होगा। पीडीएन के निर्माण के लिए सुरक्षा उपाय और तकनीकी मानक केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) (सुरक्षा और विद्युत आपूर्ति से संबंधित उपाय) विनियम, 2010 और ग्रामीण विद्युतीकरण निगम द्वारा जारी लाइनों के डिजाइन और निर्माण के लिए मैनुअल के अनुरूप होंगे और केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर व केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में वितरण लाइसेंसधारियों द्वारा पालन किए जाएंगे।

6. ग्रिड के साथ अंतर्संयोजन के लिए तकनीकी मानक

- 6.1. ग्रिड के साथ अंतर्संयोजन के लिए तकनीकी मानक वितरण लाइसेंसधारी के परामर्श से राज्य नोडल एजेंसी द्वारा कार्यान्वयन दिशानिर्देशों में जारी किए जाएंगे और आयोग द्वारा अनुमोदित किए जाएंगे। राज्य नोडल एजेंसी भविष्य में माइक्रो-ग्रिड परियोजनाओं के लिए प्राधिकरण द्वारा जारी मानकों का भी पालन कर सकती है।
- 6.2. केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (वितरित उत्पादन संसाधनों की कनेक्टिविटी के लिए तकनीकी मानक) विनियम, 2012, ग्रिड के साथ माइक्रो-ग्रिड परियोजना के अंतर्संयोजन के लिए तब तक लागू होंगे जब तक कि इंटरकनेक्शन के लिए प्रस्तावित तकनीकी मानकों को आयोग द्वारा अनुमोदित नहीं किया जाता है।

- 6.3. एमआरईएस से अंतर्संयोजन बिंदु तक अंतर्संयोजन नेटवर्क की लागत एमजीओ द्वारा वहन की जाएगी।
7. **माइक्रो-ग्रिड परियोजनाओं के लिए सुरक्षा उपाय:** विद्युत उपकरणों की स्थापना को केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सुरक्षा और विद्युत आपूर्ति के उपाय) विनियम, 2010 का पालन करना होगा।
8. **मीटरिंग व्यवस्था**
- 8.1. जैसा भी मामला हो, मीटरिंग उत्पादन छोर, वितरण लाइसेंसधारी के सिस्टम के साथ इंटरकनेक्शन बिंदु और उपभोक्ता छोर पर प्रदान की जाएगी।
- 8.2. सभी मीटर सीईए (मीटरों की स्थापना और संचालन), विनियम 2006 और उनके संशोधनों में निर्दिष्ट मानकों और प्रावधानों के अनुरूप होंगे।
- 8.3. मीटरों की स्थापना और संचालन सीईए द्वारा समय-समय पर अधिसूचित प्रासंगिक विनियमों के अनुरूप होगी।
- 8.4. माइक्रो-ग्रिड परियोजना में जेनरेशन मीटर रीडिंग को बाध्य इकाई/इकाइयों के लिए आरपीओ की पूर्ति के उद्देश्य से माना जाएगा।
- 8.5. उत्पादन के अंत में, मुख्य मीटर और स्टैंडबाय मीटरिंग व्यवस्था बिजली खरीद समझौते की शर्तों के अनुसार एमजीओ द्वारा प्रदान की जानी है।
- 8.6. वितरण लाइसेंसधारी माइक्रो-ग्रिड के अंतर्संयोजन बिंदु पर मीटर स्थापित करेगा।
- 8.7. सभी मीटरों को समय-समय पर कैलिब्रेट किया जाएगा; उपभोक्ता मीटरों को कम से कम पांच वर्ष के अंतराल पर कैलिब्रेट किया जाना चाहिए।
9. **बिजली खरीद समझौता**
- 9.1. माइक्रो-ग्रिड परियोजना से उत्पन्न बिजली की बिक्री के मामले में, एमजीओ जम्मू और कश्मीर पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड/वितरण लाइसेंसधारी के साथ पीपीए में प्रवेश करेगा।
- 9.2. वितरण लाइसेंसधारी को ऊर्जा बिक्री की मात्रा वितरण लाइसेंसधारी के प्रतिनिधि के साथ एमजीओ द्वारा दर्ज की गई संयुक्त मीटर रीडिंग (जेएमआर) के आधार पर निर्धारित की जाएगी।
- 9.3. एमजीओ, जेएमआर के आधार पर जम्मू और कश्मीर पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड/वितरण लाइसेंसधारी को चालान प्रस्तुत करेगा; और दावे को सत्यापित करने के बाद, जम्मू और कश्मीर पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड/वितरण लाइसेंसधारी, जैसा भी मामला हो, पीपीए में दिए गए प्रावधानों के अनुसार बिल का भुगतान करेगा।
- 9.4. जम्मू और कश्मीर पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड/वितरण लाइसेंसधारी यह सुनिश्चित करेगा कि, एमजीओ को बिजली खरीद से संबंधित भुगतान को अन्य बिजली खरीद सहित सभी तीसरे पक्ष के भुगतानों पर प्राथमिकता दी जाएगी, और एमजीओ को भुगतान सुरक्षा के लिए पीपीए में प्रदान किए गए साख पत्र (एलसी) के प्रावधानों को बनाए रखा जाएगा।
- 9.5. पीपीए को आयोग द्वारा अनुमोदित किया जाएगा।
10. **वितरण फ्रेंचाइजी ढांचा**
- 10.1. एमजीओ और संबंधित वितरण लाइसेंसधारी के बीच एक डीएफए निष्पादित किया जाएगा।
- 10.2. एमजीओ डीएफ की भूमिका निभा सकता है बशर्ते एमजीओ वितरण लाइसेंसधारी द्वारा डीएफ की नियुक्ति के लिए कार्यान्वयन दिशानिर्देशों में निर्दिष्ट तौर-तरीकों को पूरा करता हो। ऐसे मामले में, एमजीओ लाइसेंसधारी की ओर से संचालन करने के लिए वितरण लाइसेंसधारी के साथ डीएफए में प्रवेश करेगा और वितरण फ्रेंचाइजी शुल्क तंत्र के माध्यम से मुआवजा दिया जाएगा।
- 10.3. वितरण फ्रेंचाइजी शुल्क और अन्य नियम और शर्तें डीएफए में शामिल होंगी।
11. **समझौतों का निरसन**
- समझौते की समाप्ति के मामले में, वितरण लाइसेंसधारी और एमजीओ पीपीए और डीएफए (जैसा लागू हो) में निर्दिष्ट प्रक्रिया का पालन करेंगे।

12. बाहर निकलने के विकल्प

- 12.1. राज्य नोडल एजेंसी से अपेक्षित मंजूरी प्राप्त करने पर एमजीओ को माइक्रो ग्रिड क्षेत्र से बाहर निकलने की अनुमति दी जाएगी।
- 12.2. एमजीओ को पारस्परिक रूप से सहमत नियमों और शर्तों के अनुसार, उत्पादन परिसंपत्तियों और / या वितरण परिसंपत्तियों में से किसी एक का स्वामित्व वितरण लाइसेंसधारी या किसी अन्य एमजीओ को हस्तांतरित करने की अनुमति दी जाएगी, बशर्ते कि मौजूदा समझौता और फीड-इन -आयोग द्वारा निर्धारित टैरिफ अपरिवर्तित रहे।
- 12.3. निकास विकल्प एमजीओ और वितरण लाइसेंसधारी पर लागू समझौते द्वारा शासित होंगे।

अध्याय V: वाणिज्यिक ढाँचा**13. माइक्रो-ग्रिड परियोजनाओं के लिए टैरिफ**

- 13.1. आयोग एमजीओ द्वारा दायर आवेदन पर अधिनियम की धारा 62 के तहत प्रावधान के अनुसार माइक्रो-ग्रिड परियोजना से वितरण लाइसेंसधारी को बिजली की बिक्री के लिए टैरिफ निर्धारित करेगा।
बशर्ते कि एमजीओ अपने टैरिफ आवेदन में माइक्रो-ग्रिड परियोजना की पूंजी लागत, परिचालन लागत और प्रदर्शन मापदंडों का विवरण स्पष्ट रूप से प्रदान करेगा। टैरिफ का निर्धारण करते समय आयोग को, जहां तक संभव हो, भारत सरकार द्वारा अधिसूचित राष्ट्रीय विद्युत नीति, टैरिफ नीति और ग्रामीण विद्युतीकरण नीति द्वारा निर्दिष्ट सिद्धांतों और पद्धतियों द्वारा निर्देशित किया जाएगा।
- 13.2. जम्मू और कश्मीर पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड / वितरण लाइसेंसधारी को आयोग द्वारा निर्धारित टैरिफ के अनुसार माइक्रो-ग्रिड परियोजना से बिजली खरीदने के लिए एमजीओ से नोटिस प्राप्त होने के एक महीने के भीतर एमजीओ के साथ बिजली खरीद समझौते (पीपीए) में प्रवेश करना होगा।

14. उपभोक्ताओं को आपूर्ति हेतु ऊर्जा लेखांकन एवं निपटान

- 14.1. एमजीओ परिशिष्ट-1 के तहत संलग्न प्रारूप के अनुसार वार्षिक आधार पर माइक्रो-ग्रिड परियोजना का विवरण आयोग को प्रस्तुत करेगा और एक प्रति राज्य नोडल एजेंसी को प्रस्तुत करेगा।
- 14.2. एमजीओ और उपभोक्ता बिल भुगतान के लिए चालान और भुगतान चक्र जारी करने के उद्देश्य से बिलिंग चक्र पर पारस्परिक रूप से निर्णय लेंगे।
- 14.3. बिलिंग चक्र एमजीओ और एमजीओ द्वारा विकसित माइक्रो-ग्रिड परियोजना द्वारा सेवा प्राप्त उपभोक्ताओं द्वारा पारस्परिक रूप से तय किए गए मासिक/द्वैमासिक आधार पर होगा।
- 14.4. उपभोक्ताओं से वसूला जाने वाला टैरिफ आपसी सहमति के अनुसार होगा, टैरिफ तय करते समय सरकार के निर्देश (यदि कोई हो) के साथ किसी भी वित्तीय सहायता/सब्सिडी को ध्यान में रखा जाएगा।

15. वितरण लाइसेंसधारी को आपूर्ति के लिए ऊर्जा लेखांकन और निपटान

- 15.1. एमजीओ वितरण लाइसेंसधारी की बिलिंग अवधि के आधार पर अंतर्संयोजन बिंदु पर वितरण लाइसेंसधारी की प्रणाली में इंजेक्ट की गई बिजली के खिलाफ बिल जारी करेगा और आयोग द्वारा निर्धारित एफआईटी के आधार पर वितरण लाइसेंसधारी द्वारा प्रतिपूर्ति की जाएगी।
- 15.2. भुगतान और अनुबंध की अन्य नियम और शर्तें पीपीए में शामिल होंगी।

16. वितरण फ्रेंचाइजी गतिविधियों के लिए ऊर्जा लेखांकन और निपटान

- 16.1. एमजीओ वितरण लाइसेंसधारी को डीएफए के अनुसार वितरण फ्रेंचाइजी गतिविधियों के लिए बिल जारी करेगा।
- 16.2. भुगतान और अनुबंध की अन्य नियम और शर्तें डीएफए में शामिल होंगी।

17. नवीकरणीय खरीद दायित्व

- 17.1. एमजीओ तिमाही आधार पर आयोग, राज्य नोडल एजेंसी, जम्मू और कश्मीर पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड और संबंधित वितरण लाइसेंसधारी को, जिसके क्षेत्र में माइक्रो-ग्रिड परियोजना स्थित है, उत्पादन रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

17.2. माइक्रो-ग्रिड से उत्पन्न बिजली की मात्रा, जैसा कि उत्पादन मीटर में दर्ज की गई है, वितरण लाइसेंसधारी के लिए आरपीओ के अनुपालन के रूप में योग्य होगी।

अध्याय VI: हितधारकों की भूमिकाएँ और जिम्मेदारियाँ

18. राज्य नोडल एजेंसी

- 18.1. राज्य नोडल एजेंसी (एसएनए) केंद्र शासित प्रदेशों में इन विनियमों के तहत संचालित सभी माइक्रो-ग्रिड संयंत्रों का रिकॉर्ड रखेगी। एसएनए इन विनियमों को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए समय-समय पर आयोग को समर्थन और आवश्यक जानकारी प्रदान करेगा।
- 18.2. राज्य नोडल एजेंसी इन विनियमों की अधिसूचना की तिथि से छह महीने के भीतर राज्य में इन विनियमों के तहत माइक्रो-ग्रिड परियोजनाओं के सुचारू कार्यान्वयन के लिए कार्यान्वयन दिशानिर्देश तैयार करेगी।
- 18.3. राज्य नोडल एजेंसी इस उद्देश्य के लिए विकसित किए जाने वाले इन विनियमों और कार्यान्वयन दिशानिर्देशों में दिए गए प्रावधानों के अनुरूप इसकी स्थिरता की जांच करने के लिए एमजीओ द्वारा प्रस्तुत विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) की जांच करेगी।
- 18.4. एसएनए माइक्रो-ग्रिड परियोजनाओं के लिए टैरिफ निर्धारित करने में आयोग का समर्थन करेगा।
- 18.5. एसएनए एमजीओ के विकास अनुरोधों का प्रबंधन करेगा।

19. वितरण लाइसेंसधारी

- 19.1. वितरण लाइसेंसधारी, ग्रामीण क्षेत्रों में नेटवर्क विस्तार की योजना बनाते समय, संचालन के तहत माइक्रो-ग्रिड परियोजना, यदि कोई हो, या निष्पादन के अग्रिम चरण के परियोजनाओं को ध्यान में रखेगा।
- 19.2. वितरण लाइसेंसधारी को वितरण लाइसेंसधारी की प्रणाली के साथ अंतर्संयोजन के लिए पीडीएन के लिए तकनीकी मानक और माइक्रो-ग्रिड नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के अंतर्संयोजन मानदंडों के विकास के लिए संबंधित एजेंसियों को इनपुट प्रदान करना चाहिए।
- 19.3. यदि लागू हो तो वितरण लाइसेंसधारी एमजीओ के साथ पीपीए में प्रवेश कर सकता है और एमजीओ द्वारा प्रस्तुत किए गए बिलों का भुगतान करेगा।
- 19.4. वितरण लाइसेंसधारी आपसी सहमति से एमजीओ के साथ डीएफए में प्रवेश कर सकता है।
- 19.5. एमजीओ के अनुरोध पर, वितरण लाइसेंसधारी माइक्रो-ग्रिड परियोजना क्षेत्र में ग्रिड के विस्तार पर, पारस्परिक रूप से सहमत नियमों और शर्तों पर परिसंपत्तियों के मूल्यहास मूल्य के आधार पर पीडीएन का अधिग्रहण करेगा।

20. माइक्रो-ग्रिड ऑपरेटर

- 20.1. एमजीओ आयोग, राज्य नोडल एजेंसी, जम्मू और कश्मीर पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड और संबंधित वितरण लाइसेंसधारी को इन विनियमों के परिशिष्ट 1 में निर्दिष्ट जानकारी की उचित सूचना के बाद माइक्रो-ग्रिड परियोजना को लागू करेगा।
- 20.2. एमजीओ परियोजना का विकास, निर्माण और कमीशन करेगा और नियमों में प्रदान की गई एसओपी के अनुसार माइक्रो-ग्रिड क्षेत्र में बिजली उत्पन्न करेगा और उपभोक्ताओं को आपूर्ति करेगा। एमजीओ माइक्रो ग्रिड परियोजनाओं के संचालन और रखरखाव की देखरेख करेगा।
- 20.3. ग्रिड के साथ अंतर्संयोजन पर क्षेत्र के वितरण लाइसेंसधारी के साथ पीपीए और डीएफए (जैसा लागू हो) के तहत उल्लिखित कार्यों को निष्पादित करें।
- 20.4. उपभोक्ता द्वारा आपूर्ति शर्तों में किसी भी प्रकार की चूक तथा उल्लंघन के मामले में, जिसमें गैर-भुगतान, चोरी का दुरुपयोग, गलत बयानी, धोखाधड़ी शामिल है, लेकिन यह इन्हीं तक सीमित नहीं है, एमजीओ आयोग के अधिनियम या विनियमों के अनुसार उचित कार्यवाही करने का हकदार होगा।

21. जम्मू और कश्मीर पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (जेकेपीसीएल)

- 21.1. जेकेपीसीएल एमजीओ से ऐसा अनुरोध प्राप्त होने के एक (1) महीने के भीतर, यदि लागू हो, एमजीओ के साथ पीपीए में प्रवेश करेगा।
- 21.2. जेकेपीसीएल पीपीए में दिए गए प्रावधानों के अनुसार आयोग द्वारा माइक्रो-ग्रिड परियोजना के लिए निर्दिष्ट टैरिफ पर एमजीओ को भुगतान करेगा।
- 21.3. जेकेपीसीएल यह सुनिश्चित करेगा कि एमजीओ को किए गए बिजली खरीद से संबंधित भुगतान को अन्य बिजली खरीद सहित सभी तीसरे पक्ष के भुगतानों पर प्राथमिकता दी जाए। एमजीओ को किए गए भुगतान की सुरक्षा के लिए पीपीए में दिए गए प्रावधान के अनुसार साख पत्र (एलसी) और एस्क्रो खाता व्यवस्था को बनाए रखा जाना चाहिए।

22. माइक्रो-ग्रिड क्षेत्र में उपभोक्ता

- 22.1. चिन्हित माइक्रो-ग्रिड क्षेत्र के उपभोक्ताओं को पारस्परिक रूप से सहमत टैरिफ के आधार पर एमजीओ को नियमित रूप से बिजली शुल्क का भुगतान करना होगा।
- 22.2. नियत तिथि के बाद किए गए भुगतान के लिए विलंबित भुगतान अधिभार, यदि कोई हो, आपसी नियम और शर्तों के अनुसार लागू हो सकता है।
- 22.3. उपभोक्ता ऊर्जा कुशल उपकरणों का उपयोग करके ऊर्जा कुशल उपायों को अपनाएंगे और समग्र बिजली खपत को कम करेंगे।

अध्याय VII: विवाद समाधान**23. तकनीकी समिति का गठन**

- 23.1. राज्य नोडल एजेंसी केंद्रशासित प्रदेशों में माइक्रो-ग्रिड परियोजनाओं के कार्यान्वयन की सुविधा के लिए एक तकनीकी समिति (समिति) का गठन करेगी। समिति का उद्देश्य बिजली की आपूर्ति करने वाले एमजीओ के हितों की रक्षा के साथ-साथ केंद्रशासित प्रदेशों में उन विनियमों के तहत विकसित माइक्रो-ग्रिड परियोजना से जुड़े उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करना होगा। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर व केंद्र शासित प्रदेश लद्दाखमें माइक्रो-ग्रिड परियोजनाओं के कार्यान्वयन की सुविधा के लिए अलग तकनीकी समिति स्थापित की जाएगी।
- 23.2. समिति की अध्यक्षता एसएनए के अध्यक्ष द्वारा की जाएगी, जिसका सचिवालय संबंधित राज्य नोडल एजेंसी के कार्यालय में होगा। समिति में आयोग, राज्य नोडल एजेंसी, जेकेपीसीएल, वितरण लाइसेंसधारी, एलपीडीडी, जैसा भी मामला हो, के प्रतिनिधि शामिल होंगे, जो अधीक्षक अभियंता और किसी अन्य अधिकारी के पद से नीचे के नहीं होंगे। बैठक में एमजीओ के प्रतिनिधि को भी आमंत्रित किया जाएगा।
- 23.3. समिति इन विनियमों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए गतिविधियों की समग्र प्रगति की निगरानी करेगी।

24. विवाद निवारण तंत्र

- 24.1. एमजीओ द्वारा प्रदत्त उपभोक्ताओं की शिकायतों का निवारण राज्य नोडल एजेंसी द्वारा किया जाएगा। यदि कोई उपभोक्ता एसएनए के निर्णय से असंतुष्ट है, तो संबंधित उपभोक्ता तकनीकी समिति से संपर्क कर सकता है। समिति को उपभोक्ताओं की शिकायत का निवारण करने के लिए एसएनए के अलावा अपने किसी भी सदस्य को अधिकृत करने की स्वतंत्रता होगी।
- 24.2. समिति एमजीओ और वितरण लाइसेंसधारी के बीच उत्पन्न होने वाले विवाद का समाधान करेगी और/या समाधान में सहायता करेगी।
- 24.3. यदि तीन (3) महीने की अवधि में विवाद का समाधान नहीं होता है, तो पीड़ित पक्ष आयोग से संपर्क कर सकता है।

अध्याय VIII: विविध**25. भुगतान सुरक्षा**

- 25.1. वितरण लाइसेंसधारी/जेकेपीसीएल, एमजीओ को भुगतान करने को प्राथमिकता देगा।
- 25.2. माइक्रो-ग्रिड परियोजना से हरित बिजली की खरीद के लिए एफआईटी के खिलाफ मुआवजा, परिसंपत्ति शुल्क (यदि देय हो) और वितरण फ्रेंचाइजी शुल्क वितरण लाइसेंसधारी के लिए एआरआर का हिस्सा होगा।

26. कार्यान्वयन दिशानिर्देश

26.1. इन विनियमों की आधिकारिक अधिसूचना के तीन महीने के भीतर, वितरण लाइसेंसधारी निम्नलिखित विचारों के साथ माइक्रो-ग्रिड परियोजना ढांचे को नियंत्रित करने वाले कार्यान्वयन दिशानिर्देश विकसित करेगा:

- क) पीडीएन के निर्माण के लिए तकनीकी मानक;
- ख) ग्रिड के साथ माइक्रो-ग्रिड परियोजना की इंटरकनेक्टिविटी के लिए तकनीकी मानक;
- ग) वितरण फ्रेन्चाइजी समझौते के सिद्धांत; और
- घ) विनियमों के कार्यान्वयन के लिए कोई अन्य प्रासंगिक मामला

26.2. कार्यान्वयन दिशानिर्देश आयोग द्वारा अनुमोदित किए जाएंगे।

27. निर्देश देने की शक्ति

27.1. आयोग समय-समय पर ऐसे निर्देश और आदेश जारी कर सकता है जो इन विनियमों के कार्यान्वयन और केंद्रशासित प्रदेशों में माइक्रो-ग्रिड परियोजनाओं के लिए बाजार के विकास के लिए उपयुक्त समझे जाएं।

27.2. यदि आवश्यक हो, तो आयोग अपने आदेश के माध्यम से हितधारकों के परामर्श से इन विनियमों के प्रावधानों के अनुपालन के लिए अतिरिक्त तंत्र तैयार कर सकता है।

28. ढील देने की शक्ति -

आयोग, सामान्य या विशेष आदेश द्वारा, कारणों को लिखित रूप में दर्ज करके, और छूट दिए जाने से प्रभावित होने वाले संभावित पक्षों को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के बाद, इन विनियमों के किसी भी प्रावधान को स्वप्रेरणा से या किसी इच्छुक व्यक्ति द्वारा उसके समक्ष किए गए आवेदन पर ढील दे सकता है।

29. कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति

यदि इन विनियमों के प्रावधानों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है, तो आयोग, सामान्य या विशिष्ट आदेश (आदेशों) द्वारा, ऐसे प्रावधान बना सकता है जो अधिनियम के प्रावधानों के साथ असंगत न हों जो ऐसी कठिनाई को दूर करने के लिए आवश्यक प्रतीत हों।

30. संशोधन करने की शक्ति

आयोग समय-समय पर इन विनियमों के किसी भी प्रावधान को जोड़, परिवर्तित, पुनरीक्षित, निलंबित, संशोधित, सुधार या निरस्त कर सकता है।

आयोग के आदेश द्वारा।

वी. के. धर, सचिव

[विज्ञापन-III/4/असा./776/2023-24]

परिशिष्ट-1**एमजीओ द्वारा आयोग को प्रस्तुत किए जाने वाले विवरण का प्रारूप**

एमजीओ का नाम	
यूनिक आईडी नंबर, यदि कोई हो	
मिनी-ग्रिड परियोजना विवरण	
गाँव	
तहसील	
ज़िला	
मिनी ग्रिड की क्षमता (किलोवाट)	

संचालन का वर्ष					
प्रयुक्त नवीकरणीय ऊर्जा आधारित प्रणाली के प्रकार और उनकी संबंधित क्षमता (किलोवाट में)					
पीडीएन की नेटवर्क लंबाई (सर्किट किलोमीटर)					
पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान उत्पन्न मासिक इकाइयाँ (किलोवाट में)।	अप्रैल	मई	जून	--	मार्च
उपभोक्ता विवरण (उपभोक्ताओं की संख्या)					
स्वदेशी परिवार					
वाणिज्यिक उपभोक्ता					
किसी अन्य प्रकार के उपभोक्ता (कृपया निर्दिष्ट करें)					
5 किलोवाट से अधिक कनेक्टेड लोड वाले उपभोक्ता					
उपभोक्ताओं की कुल संख्या					

JOINT ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION

(for the UT of J&K and the UT of Ladakh)

NOTIFICATION

Jammu, the 12th February, 2024

No. JERC-JKL/Reg/2024/01.—In exercise of the powers conferred under section 181(1); read with Sections 14, sub-Section (h) of Section 61, Section 66, clause (e) and (k) of Sub-section (1) of Section 86 of the Electricity Act, 2003 (36 of 2003), the Rural Electrification Policy, the National Tariff Policy notified on 28 th January, 2016 and all other powers enabling it in this behalf, the Joint Electricity Regulatory Commission for the UT of Jammu & Kashmir and the UT of Ladakh hereby makes the following Regulations:

Chapter I: General

1. Short Title, Commencement

- These Regulations shall be called the Joint Electricity Regulatory Commission for the UT of Jammu & Kashmir and the UT of Ladakh (Micro-Grid Renewable Energy Generation and Supply) Regulations, 2024.
- These Regulations shall be applicable to whole of the Union Territory (UT) of Jammu & Kashmir and the UT of Ladakh.
- These Regulations shall come into force from the date of their publication in the **Official Gazette**.
- The objective of the Regulations is to promote and facilitate the development, management of Renewable Energy Generation and Supply through Micro-Grid projects in the UT of Jammu & Kashmir and the UT of Ladakh.

2. Definitions

In these Regulations, unless the context otherwise requires:

- “**Act**” means the Electricity Act, 2003 (36 of 2003);
- “**Authority**” means the Central Electricity Authority referred to in sub-section (1) of Section 70 of the Act;
- “**Billing Cycle**” means the billing interval agreed between the Micro-Grid Operator (MGO) and the consumer;
- “**Commission**” means the Joint Electricity Regulatory Commission for the UT of Jammu & Kashmir and the UT of Ladakh constituted under the Act;
- “**Critical Supply Hours**” means the Supply of electricity in the morning during 6.00 Hrs to 10.00 Hrs and during 17.00 Hrs to 22.00 Hrs in the evening each day or as amended by the Commission from time to time through an order;
- “**Detailed Project Report (DPR)**” means a detailed report consisting of technical, financial, and environmental aspects, etc. related to the Micro-Grid project;

7. **“Distribution Franchisee (DF)”** means a person authorized by a Distribution Licensee to Perform requisite duties on its behalf in a particular area of supply of the Distribution Licensee as per the terms and conditions in the Distribution Franchisee Agreement;
8. **“Distribution Franchisee Agreement (DFA)”** means the Agreement between the Distribution Licensee and the Micro-Grid Operator as a Distribution Franchisee;
9. **“Distribution Franchisee Fees”** means the payment of amount made by the Distribution Licensee to the Micro-Grid Operator for services rendered under the Distribution Franchisee Agreement;
10. **“Distribution Licensee’s System”** means the system of wires and associated facilities between the delivery points on the transmission lines or the generating station connection and the point of connection to the installation of the consumers;
11. **“Feed-in-Tariff or FIT”** means the tariff determined by the Commission as per Section 62 of the act for procurement of electricity by the Distribution Licensee from the Micro-Grid based renewable energy system;
12. **“Grid Arrival”** means extension of the Distribution Licensee’s system in the Micro-Grid area;
13. **“Interconnection Point”** means the interface point for supply of electricity from the Micro-Grid Renewable Energy System to the Distribution Licensee’s System;
14. **“kW”** means kilo Watt;
15. **“Micro-Grid Area”** means the areas where electricity would be supplied through Micro Grid projects by the Micro-Grid Operator under these Regulations; Such area can be an un-electrified area or un-electrified padas/bastis of electrified area.
16. **“Mini-Grid/Micro-Grid Project”** means the project comprising of renewable energy-based electricity generation system with capacity of more than 10 kW and up to a capacity of 1000 kW and supplying electricity to the consumers in the Micro-Grid areas through the Power Distribution Network and /or selling electricity to the distribution Licensee as per the provisions laid out in these Regulations. Such type of projects some time also referred as Renewables Energy Generation and Supply Projects(REGSP);
17. **“Micro-Grid Operator (MGO)”** means a person, a group of persons, local authority, Panchayat Institution, users’ association, co-operative societies, non-governmental organizations, a company that constructs, commissions, operates and maintains Micro-Grid Renewable Energy System within the UT of J&K and UT of Ladakh for generation and supply of electricity in the Micro-Grid areas and has agreed to operate under these Regulations;
18. **“Micro-Grid Project”** means the Micro-Grid Renewable Energy System generating and supplying electricity to consumers or selling electricity to Distribution Licensee;
19. **“Micro-Grid Renewable Energy System (MRES)”** means the stand alone power plant generating electricity using renewable energy source in the Micro-Grid area for supply to consumers and/or to Distribution Licensee;
20. **“MNRE”** means the Ministry of New and Renewable Energy of the Government of India or its successor entity;
21. **“Obligated Entity”** means the entity mandated under Clause (e) of Sub-Section (1) of Section 86 of the Act to fulfil the Renewable Purchase obligation and identified under Joint Electricity Regulatory Commission for Union Territories Jammu & Kashmir and Ladakh (Renewable Purchase Obligation, its Compliance and REC framework Implementation) Regulations, 2022 as amended from time to time;
22. **“Power Purchase Agreement (PPA)”** is an Agreement between Distribution Licensee and MGO for the purchase of electricity generated from the Micro-Grid Project upon interconnection with grid;
23. **“Primary Distribution Network(PDN)”** means the distribution infrastructure owned by MGO for supplying electricity generated from the Micro- Grid Area to the consumers in the Micro-Grid area as per safety measures specified under Section 53 of the Act and technical standards in the implementation guidelines specified by CEA;
24. **“Renewable Energy Certificates (REC)”** means the Certificates issued in accordance with the procedures specified by the Central Electricity Regulatory Commission through Central Electricity Regulatory Commission (Terms and Conditions for recognition and issuance of Renewable Energy Certificate for Renewable Energy Generation) Regulations, 2010 as amended from time to time;
25. **“Renewable Energy Sources”** means renewable sources such as small hydro, wind, solar, biomass, bio fuel, urban or municipal waste, Micro hydro/mini hydro, traditional water mill / Gharat and thereof and other such

sources as approved by the Ministry of New and Renewable Energy from time to time for generation of electricity;

26. **“Renewable Purchase Obligation (RPO)”** means the requirement as specified under clause (e) of sub-section (1) of Section 86 of the Act, and specified in the Joint Electricity Regulatory Commission for the UT of Jammu & Kashmir and the UT of Ladakh (Renewable Purchase Obligation & its Compliance) Regulations, 2024 or its subsequent amendment, for the obligated entity to purchase electricity generated from renewable energy sources;
27. **“Standard of Performance or SoP”** means to supply grid quality electricity to all willing domestic consumers connected with Public Distribution Network for at least 6 hours during the critical supply hours on daily basis in 24 hours’ day format;
28. **“State Nodal Agency”** means the nodal agency at the state level for promotion of grid connected and off-grid renewable energy in the state of UT of Jammu & Kashmir and the UT of Ladakh as notified by the Commission;
29. **“Tariff Period”** means the period for which FiT is to be determined by the Commission for the electricity generated from MRES;
30. **“Wheeling Agreement”** means the agreement signed by Distribution Licensee with MGO for supply of electricity through PDN;
31. **“Year”** means the financial year;

Chapter II: Scope and Applicability

3. Scope of Regulations and Extent of Application

- 3.1 These Regulations shall apply to new and existing Micro-Grid Projects, if any, having capacity above 10 kW up to 1000 kW set up for generation and supply of electricity to consumers in the Micro-Grid served area and/or sale to the Distribution Licensee in the UT of Jammu & Kashmir and the UT of Ladakh. The existing Micro-Grid Projects shall ensure the compliance of these Regulations and shall meet the Technical Standards and Safety measures as per these Regulations within Six months of notifications.

Chapter III: General Principles

4. Models for Business Operations

- 4.1 The MGO may implement the Micro-Grid Projects for supply of electricity in the areas served by Micro-Grid areas, where grid is not in existence, under following operational model or any subsequent model(s) as approved by the Commission.
 - a) MGO shall construct, commission, operate and maintain Micro-Grid projects for generation and supply of electricity through PDN in areas where Distribution Licensee’s System doesn’t exist.
 - b) MGO shall be entitled to supply entire quantum of electricity generated from the Micro-Grid projects to the consumers at mutually agreed tariff or at the tariff decided by the UT Government under any Government sponsored scheme.
 - c) Upon grid arrival, MGO shall generate and supply entire electricity generated to the Distribution Licensee at the interconnection point at FiT determined by the Commission.
 - d) MGO shall transfer ownership of PDN conforming to the standards of Distribution Licensee’s system to Distribution Licensee with mutual consent based on book value of assets on the date of transfer. The MGO shall rectify the shortcomings as per CEA Standards, if pointed out by the Discom while taking over the PDN. The book value of the asset on the date of transfer shall be determined by applying the depreciation method, as JERC regulations in practice, on the book value of asset recorded during the commissioning of the Micro-grid project.
 - e) Further, the Distribution Licensee may allow the MGO to undertake role of Distribution Franchisee (DF) in the Micro-grid area.

Chapter-IV Technical Standards and Connectivity Norms

5. Technical Standards for Construction of PDN

- 5.1 The MGO shall be responsible for safe Operation and Maintenance of the PDN as per the relevant Rules and Regulations. The safety measures and technical standards for construction of PDN shall conform to Central Electricity Authority (CEA) (Measures relating to Safety and Electric Supply) Regulations, 2010 and as per manual for design and Construction of lines issued by Rural Electrification Corporation and followed by the distribution licensees in the UT of Jammu & Kashmir and the UT of Ladakh.

6. Technical Standards for Interconnection with the Grid

- 6.1. Technical Standards for Interconnection with the Grid shall be issued in the implementation guidelines by the State Nodal Agency in consultation with Distribution Licensee and approved by the Commission. State Nodal Agency can also follow the standards issued by the Authority for Micro-Grid projects in future.
- 6.2. Central Electricity Authority (Technical Standards for connectivity of the Distributed Generation Resources) Regulations, 2012 shall be applicable for interconnection of the Micro-Grid project with the Grid till the proposed technical standards for Interconnection are approved by the Commission.
- 6.3. The cost for interconnection network from the MRES to the Interconnection point shall be borne by the MGO.

7. **Safety Measures for Micro-Grid Projects** The installations of electrical equipment must comply with Central Electricity Authority (Measures of Safety and Electric Supply) Regulations, 2010.

8. Metering Arrangement

- 8.1. The metering shall be provided at the generation end, interconnection point with the Distribution Licensee's system, and the consumer end, as the case may be.
- 8.2. All the meters shall adhere to the standards and provisions specified in the CEA (installation and operation of meters), regulations 2006 and amendments there to.
- 8.3. The installation and operation of meters shall be in conformity with the relevant Regulations notified by the CEA from time to time.
- 8.4. Generation meter readings at Micro-Grid project shall be considered for the purpose of the fulfillment of RPO for the obligated entity/entities.
- 8.5. At the generation end, main meter and standby metering arrangement are to be provided by the MGO as per terms of the Power Purchase Agreement.
- 8.6. The Distribution Licensee shall install meters(s) at the interconnection point of the Micro-grid.
- 8.7. All the meters shall be periodically calibrated; consumer meters should be calibrated at an interval of the least five years.

9. Power Purchase Agreement

- 9.1. In case of sale of electricity generated from the Micro-grid project, the MGO shall enter into the PPA with the Jammu and Kashmir Power Corporation Ltd/Distribution Licensee.
- 9.2. The quantum of energy sale to the Distribution Licensee shall be determined on the basis of Joint Meter Reading (JMR), recorded by the MGO along with representative of Distribution Licensee.
- 9.3. MGO shall submit the invoice to Jammu and Kashmir Power Corporation Ltd /Distribution Licensee on the basis of JMR; and after verifying the claim, Jammu and Kashmir Power Corporation Ltd /Distribution Licensee, as the case may be, shall pay the bill according to the provisions given in the PPA.
- 9.4. Jammu and Kashmir Power Corporation Ltd /Distribution Licensee shall ensure that power purchase related payments to MGO's take precedence over all third party payments including other power purchases, and provisions of Letter of Credit (LC) be maintained as provided in the PPA for payment security to the MGO.
- 9.5. The PPA shall be approved by the Commission.

10. Distribution Franchisee Framework

- 10.1. A DFA shall be executed between the MGO and concerned Distribution Licensee.
- 10.2. MGO may undertake role of DF provided MGO fulfils the modalities to be specified in the implementation guidelines for the appointment of DF by the Distribution Licensee. In such case, MGO shall enter into DFA with Distribution Licensee for undertaking operations on behalf of the Licensee and shall be compensated through a distribution franchisee fee mechanism.
- 10.3. Distribution Franchisee Fee and other terms and conditions shall be covered in the DFA.

11. Revocation of Agreements

In case of termination of Agreement(s), the Distribution Licensee and MGO shall follow the process specified in the PPA and DFA (as may be applicable).

12. Exit Options

- 12.1. MGO shall be allowed to exit the Micro Grid area upon obtaining requisite clearance from the State Nodal Agency.
- 12.2. The MGO shall be allowed to transfer the ownership either of the generating assets and /or distribution asset to the distribution licensee or any other MGO, as the case may be, as per mutually agreed terms and conditions provided that the existing agreement and Feed-in-tariff determined by the Commission shall remain unchanged.
- 12.3. The Exit Options will be governed by the Agreement (s) applicable to the MGO and Distribution Licensee.

Chapter V: Commercial Framework**13. Tariff for the Micro-Grid Projects**

- 13.1. The Commission shall determine the Tariff for sale of electricity from Micro-grid project to the distribution licensee as per provision under Section 62 of the Act on the application filed by the MGO.

Provided that MGO in its tariff application shall clearly provide details of capital cost, operating cost and performance parameters of Micro-grid project. While determining the tariff the Commission shall, as far as possible, be guided by the principles and methodologies specified by the National Electricity Policy, Tariff Policy and Rural Electrification Policy notified by the Government of India.

- 13.2. The Jammu and Kashmir Power Corporation Ltd/ Distribution Licensee shall enter into the Power Purchase Agreement (PPA) with the MGO within the one month of receipt of notice from MGO for purchase of electricity from the Micro-Grid project as per the tariff determined by the Commission.

14. Energy Accounting and Settlement for supply to consumers

- 14.1. The MGO shall submit the Micro-grid project details to the Commission with a copy to State Nodal Agency, on yearly basis as per the format attached under Annexure-1.
- 14.2. The MGO and the consumer shall mutually decide on the billing cycle for the purpose of raising invoices and payment cycle for payment of bill.
- 14.3. The billing cycle shall be on monthly/bi-monthly basis as mutually decided by the MGO and the consumers served by the Micro-Grid project developed by the MGO
- 14.4. The tariff charged to the consumers shall be as per mutual agreement, while fixing tariff any financial assistance/subsidy with direction (if any) from the Govt. shall be taken into consideration.

15. Energy Accounting and Settlement for supply to the Distribution Licensee

- 15.1. MGO shall raise bill against the electricity injected to the Distribution Licensee's system at the interconnection point based on the billing period of the Distribution Licensee and shall be reimbursed by the Distribution Licensee based on the FiT determined by the Commission.
- 15.2. The other terms and conditions of payment and contract shall be covered in the PPA.

16. Energy Accounting and Settlement for Distribution Franchisee activities

- 16.1. MGO shall raise bill to Distribution Licensee for Distribution Franchisee activities as per the DFA.
- 16.2. The other terms and conditions of payment and contract shall be covered in the DFA.

17. Renewable Purchase Obligation

- 17.1. The MGO shall submit generation report(s) to the Commission, the State Nodal Agency, Jammu and Kashmir Power Corporation Ltd and to the concerned Distribution Licensee in whose area the Micro-grid project is located, on quarterly basis.
- 17.2. The quantum of electricity generated from the Micro-grid as recorded in generation meter shall qualify as having complied with the RPO for the Distribution Licensee.

Chapter VI: Roles and Responsibilities of Stakeholders**18. State Nodal Agency**

- 18.1. State Nodal Agency (SNA) shall keep records of all Micro-Grid plants operating under these Regulation in the UTs. SNA shall support and furnish necessary information to the Commission, time to time, in order to effectively implement these Regulations.
- 18.2. State Nodal Agency shall prepare the implementation guidelines for smooth implementation of the Micro-grid projects under these Regulations in the State within six months from the date of notification of these Regulations.

18.3. State Nodal Agency shall scrutinize the Detailed Project Report (DPR) submitted by MGO to check its consistency in alignment with the provisions given in these Regulations and implementation guidelines to be developed for this purpose.

18.4. SNA shall support the Commission for determining the tariff for Micro-Grid Projects.

18.5. SNA shall administer exit requests of the MGO.

19. Distribution Licensee

19.1. The Distribution Licensee, while planning for network expansion in rural areas, shall take into consideration the Micro-Grid project(s) under operation, if any, or under advance stage of execution.

19.2. The Distribution Licensee should provide inputs to the concerned agencies for development of the technical standard for the PDN and interconnectivity norms of Micro-grid Renewable Energy Sources for interconnection with the Distribution Licensee's system.

19.3. The Distribution Licensee may enter into the PPA with MGO, if applicable, and shall pay the bills as submitted by MGO.

19.4. The Distribution Licensee may enter into the DFA with MGO with mutual consent.

19.5. The Distribution Licensee on extension of the grid to the micro-grid project area, on request of MGO shall take over the PDN based on the depreciated value of assets on mutually agreed terms and conditions.

20. Micro-Grid Operator

20.1. The MGO shall implement the Micro-Grid Project after due intimation of information as specified in Annexure 1 of these Regulations to the Commission, the State Nodal Agency, Jammu and Kashmir Power Corporation Ltd and the concerned Distribution Licensee.

20.2. The MGO shall develop, construct and commission the project and generate and supply electricity to consumers in the Micro-Grid Area as per SoP provided in the regulations. The MGO shall look after the operation and maintenance of Micro-Grid projects.

20.3. Execute the functions as outlined under PPA and DFA (as applicable) with the Distribution Licensee of the area upon interconnection with grid.

20.4. In case of any default and breach of supply conditions by the consumer, including but not limited to non-payment, theft misuse, misrepresentation, fraud, the MGO shall be entitled to take an appropriate action as per the Act or Regulations of the Commission.

21. Jammu and Kashmir Power Corporation Ltd (JKPCL)

21.1. JKPCL shall enter into the PPA with the MGO, if applicable, within one (1) month of receiving such request from the MGO.

21.2. JKPCL will pay the MGO at the tariff specified for the Micro-Grid project by the Commission as per the provisions given in the PPA.

21.3. JKPCL shall make certain that power purchase related payments to MGO's take precedence over all third party payments including other power purchases. Letter of Credit (LC) and Escrow Account arrangement must be maintained as provided in the PPA for payment security to the MGO.

22. The consumers in the Micro-Grid Area

22.1. Consumers in the identified Micro-Grid area shall regularly pay the electricity charges to the MGO, based on the mutually agreed tariff.

22.2. The Delayed payment surcharges, if any, for payment made after the due date, may be applicable as per mutual terms and Conditions.

22.3. Consumers shall adopt Energy Efficient measures by using Energy Efficient appliances and reduce the overall electricity consumption.

Chapter VII: Dispute Resolution

23. Formation of Technical Committee

23.1. The State Nodal Agency shall set up a Technical Committee (Committee) to facilitate implementation of the Micro-grid Projects in the UTs. The objective of the Committee will be to safeguard the interests of the MGO supplying electricity as well as to protect the interest of the consumers connected with the Micro-Grid project(s) developed under those Regulations in the UTs. Separate Technical Committee shall be set up to facilitate implementation of Micro-grid Projects in UT of J&K and UT of Ladakh.

- 23.2.** The Committee will be headed by Chairperson of the SNA with its Secretariat at office of the respective State Nodal Agency. The Committee will consist of the representatives of the Commission, State Nodal Agency, JKPCCL, the Distribution Licensees, LPDD as the case may be not below the rank of the Superintendent Engineer and any other officers. The representative of MGO shall also be invited in the meeting.
- 23.3.** The Committee will supervise the overall progress of the activities for effective implementation of these Regulations.

24. Dispute Redressal Mechanism

- 24.1.** Grievance of consumers served by MGO shall be redressed by the State Nodal Agency. In case any consumer is aggrieved with the decision of SNA, the concerned consumer can approach the Technical Committee. The Committee shall have the liberty to authorize any of its Member(s), other than SNA to resolve the grievance of consumers.
- 24.2.** The Committee shall resolve and/or facilitate in resolution of dispute arising between the MGO and the Distribution Licensee
- 24.3.** If dispute is not resolved in a period of three (3) months, the aggrieved party may approach the Commission.

Chapter VIII: Miscellaneous

25. Payment Security

- 25.1.** The Distribution Licensee /JKPCCL shall prioritize making payments to MGO.
- 25.2.** Compensation against FiT for purchase of green electricity from the Micro- Grid project, Asset fee (if payable) and the Distribution Franchisee Fee shall form part of ARR for the Distribution Licensee.

26. Implementation Guidelines

- 26.1.** Within three months of official notification of these Regulations, the Distribution Licensee shall develop Implementation guidelines governing the Micro-Grid project framework with following considerations:
- Technical standards for construction of PDN;
 - Technical standards for interconnectivity of the Micro-Grid project with the grid;
 - Principles of Distribution Franchisee agreement; and
 - Any other relevant matter for implementation of the Regulations
- 26.2.** The Implementation Guidelines shall be approved by the Commission.

27. Power to give directions

- 27.1.** The Commission may, from time to time issue such directions and orders as considered appropriate for implementation of these Regulations and for development of the market for Micro-Grid projects in the UTs.
- 27.2.** The Commission may, if necessary, devise additional mechanism for compliance of the provisions of these Regulations in consultation with the stakeholders, through an order of the Commission.

28. Power to Relax

The Commission may by general or special order(s), for reasons to be recorded in writing, and after giving an opportunity of hearing to the parties likely to be affected, may relax any of the provisions of these Regulations on its own motion or on an application made before it by an interested person.

29. Power to remove difficulties

If any difficulty arises in giving effect to the provisions of these Regulations, the Commission may, by general or specific order(s), make such provisions not inconsistent with the provisions of the Act as may appear it to be necessary for removing such difficulty.

30. Power to amend

The Commission may from time to time add, vary, alter, suspend, modify, amend or repeal any provisions of these Regulations.

By Order of the Commission.

V. K. DHAR, Secy.

[ADVT.-III/4/Exty./776/2023-24]

Annexure —1**Format for details to be submitted by the MGO to the Commission**

Name of the MGO					
Unique ID number if any					
Mini-grid Project Details					
Village					
Tehsil					
District					
Capacity of Mini-Grid(kW)					
Year of Operation					
Types of Renewable Energy based system used and their respective capacity (in kW)					
Network length of the PDN (Circuit kilometers)					
Monthly units generated (kWh) during previous financial year	April	May	June	--	March
Consumer Details (number of consumers)					
Domestic Households					
Commercial Consumers					
Any other type of consumers(please Specify)					
Consumers with connected load more than 5kW					
Total number of Consumers					